फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री योगेश चन्द्र सुखवाल निवासी 59, कालूराम, पण्डयो की गवाड़ी, बामणिया कलां तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 99/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः–एफ.1()सू0अ0,05/2025/931 दिनांक 11.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2025 का सूचना के अधिकार अधिकनयम, 05 के तहत जरिये ऑनलाईन पोर्टल से इस कार्यालय को 14.10.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना हिंदूस्तान जिंक लिमिटेड–राजपुरा–दरीबा सिंदेसर खुर्द इकाई, दरीबा जिला राजसमन्द, राजस्थान की सी.एस.आर. गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां चाही गई। इस कार्यालय के पत्रांक 874 दिनांक 15.10.2025 से प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया ईप्सित सूचना जो कि एक निजी लिमिटेड कंपनी (private company limited) से संबंधित है, उक्त कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अनुसार "लोक प्राधिकरण" की श्रेणी में नहीं आती है व साथ ही चाही गई सूचना इस कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(ञ) के अंतर्गत सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक से व ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना अपलोड कर सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया गया। अतः आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक 874 दिनांक 15.10.2025 से सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	द्वारा चाही गई वांछित सूचना जो कि एक निजी लिमिटेड कंपनी (private company limited) से संबंधित है, उक्त कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अनुसार "लोक प्राधिकरण" की श्रेणी में नहीं आती है व साथ ही चाही गई सूचना इस कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(ञ) के अंतर्गत सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं होने तथा उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 874 दिनांक 15.10.2025 से प्रार्थी को जरिये डाक व ऑनलाईन पोर्टल द्वारा सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)